

परिपत्र | NOTICE

यह हमारे संस्थान के सभी छात्रों, विद्वानों और कर्मचारियों (संकाय, गैर-संकाय और आउटसोर्स स्टाफ) को सिगरेट और अन्य तंबाकू के अनुसार शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के भीतर तंबाकू उत्पादों की बिक्री और खपत पर प्रतिबंध के बारे में सूचित करने के लिए है। 2003 का उत्पाद अधिनियम (सीओटीपीए) और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी निर्देश। सीओटीपीए के प्रावधानों और मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार, किसी शैक्षणिक संस्थान की निर्दिष्ट दूरी के भीतर सिगरेट सहित तंबाकू उत्पादों को बेचना या उपभोग करना सख्त वर्जित है। इसलिए, सभी कर्मचारियों को संस्थान परिसर के भीतर तंबाकू उत्पादों, विशेष रूप से सिगरेट का सेवन करने से परहेज करने का निर्देश दिया जाता है।


कृपया ध्यान दें कि हमारा परिसर सीसीटीवी निगरानी में है। कोई भी कर्मचारी सीसीटीवी फुटेज या प्रत्यक्ष अवलोकन के माध्यम से इस निर्देश का उल्लंघन करते हुए पाया गया, तो उस पर 1000/- रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। जुर्माना राशि हमारे संस्थान के खाता अनुभाग द्वारा व्यक्ति के वेतन से काट ली जाएगी।

इसके अलावा, तत्काल प्रभाव से हम छात्रावासों/मैसों की नियमित जांच करेंगे। यदि किसी कमरे में सिगरेट के अवशेष या संबंधित वस्तुएँ पाई जाती हैं, तो संबंधित छात्र(छात्रों) पर 500/- रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इस प्रकृति के बार-बार उल्लंघन के परिणामस्वरूप अनुशासनात्मक समिति द्वारा निर्धारित की जाने वाली सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

This is to inform all the students, scholars and employees (*Faculty, Non-Faculty, and Outsource staff*) of our institute about the ban on the sale and consumption of tobacco products within **100 yards** of educational institutions, as per the *Cigarettes and Other Tobacco Products Act (COTPA) of 2003* and directives issued by the *Ministry of Health and Family Welfare*. As per the provisions of COTPA and the Ministry's directives, it is strictly prohibited to sell or consume tobacco products, including cigarettes, within the specified distance of an educational institute. Therefore, all employees are directed to refrain from consuming tobacco products, specifically cigarettes, within the institute premises.

Please note that our campus is under **CCTV** surveillance. Any employee found violating this directive, either through CCTV footage or direct observation, will be subject to a fine of **Rs 1000/-**. The fine amount will be deducted from the individual's salary by the Account Section of our institute.

Furthermore, effective immediately, we will be conducting regular checks of hostels/messes. In the event that cigarette remnants or related items are found in any room, a fine of **Rs 500/-** will be imposed on the involved student(s). Repeat violations of this nature will result in strict disciplinary action to be determined by the disciplinary committee.


डीन छात्र कल्याण /
Dean Students Welfare

नं./No: NIT/DSW/2024/277

दिनांक/Dated: 30-04-2024

Copy to;

- 1) निदेशक के विशेष सचिव कृपया निदेशक की जानकारी के लिए।
Special Secretary to Director for information of the Director please.
- 2) कृपया रजिस्ट्रार की जानकारी के लिए/P.S to Registrar for information of the Registrar.
- 3) सभी डीन, एचओडी, एचओसी सूचना एवं प्रसार हेतु। All Deans, HoDs, HoCs for information and circulation.
- 4) डीआर, एआर और अन्य नियंत्रण अधिकारियों की जानकारी और वितरण के लिए।
DRs, ARs and Other Controlling officers for information and circulation.
- 5) अध्यक्ष सीएससी को इस परिपत्र को संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
- 6) Chairman CSC for uploading this notice on the Institute Website.
- 7) सभी हितधारकों/दुकानदारों/विक्रेताओं की जानकारी और आवश्यक कार्रवाई के लिए।
All Stakeholders/Shopkeepers/Vendors for information and necessary action.
- 8) सभी नोटिस बोर्ड। All notice boards.